

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

17<sup>11</sup>/<sub>25</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन अपरिपत्र।

पुनश्च

प्राची शेषाराम व उनके अधिकृत श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबू विद्मेल करने प्रकृण पेश करने पर पत्रावली आज सुनवर्द पर ली गई। प्राची द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रकारों की लोक अदालत की भावना से जौद पर भौतिक रूप से समझौता हो जाने से प्रकृण में कार्यवाही नहीं किये जाते हैं निवेदन किया है। प्राची द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन के पश्चात् प्रकृण जरिये विद्मेल खातिज किया जाता है। पत्रावली फौसल सुमार धेकर नम्बर से कम है।

शेषाराम



सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली